सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 फाल्गुन, 1940 (श०)

संख्या- 185 राँची, मंगलवार, 5 मार्च, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

31 जनवरी, 2019

कृपया पढ़ें :-

1. उपायुक्त, चतरा का पत्रांक-751/स्था०, दिनांक 13.12.2017, पत्रांक-752/स्था०, दिनांक 14.12.2017, पत्रांक-300/स्था०, दिनांक 10.05.2018 एवं पत्रांक-839/स्था०, दिनांक 08.12.2018

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का अधिसूचना सं०-1070 (HRMS), दिनांक 25.07.2018, पत्रांक-5943, दिनांक 07.08.2018 एवं पत्रांक-7309, दिनांक 27.09.2018 द्वारा

संख्या-5/आरोप-1-198/2017 का० 973-- श्री सुबोध कुमार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला- हजारीबाग), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा के विरूद्ध उपायुक्त, चतरा के पत्राक-751/स्था०, दिनांक 13.12.2017 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। साथ ही, उपायुक्त, चतरा के पत्रांक- 752/स्था०, दिनांक- 14.12.2017 द्वारा निलंबित करने की अनुशंसा की गयी । पुनः उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-300/स्था०, दिनांक 10.05.2018 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आरोप प्रतिवेदित किया गया कि श्री कुमार दिनांक 06.09.2017 से

लगातार अनाधिकृत रूप से बिना सूचना के अपने कर्तव्य से अनुपस्थित है। उपायुक्त, चतरा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री कुमार को दिनांक 07.02.2018 तक उपस्थित होने एवं अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का निदेश दिया गया, परन्तु श्री कुमार अपने कर्तव्य से अनुपस्थित है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं०-1070 (HRMS), दिनांक 25.07.2018 द्वारा श्री कुमार को निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित किया गया तथा विभागीय पत्रांक-5943, दिनांक 07.08.2018 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी ।

उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा अपने पत्र, दिनांक 06.08.2018 एवं दिनांक 21.08.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7309, दिनांक 27.09.2018 द्वारा उपायुक्त, चतरा से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-839/स्था०, दिनांक 08.12.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, चतरा के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, निम्नाकिंत निर्णय लिया जाता है-

(क) श्री सुबोध कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा, सम्प्रति-निलंबित को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

(ख) श्री कुमार के विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत् अंसचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

(ग) निलंबन अवधि के दौरान श्री कुमार को जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कोई भुगतान देय नहीं होगा, परन्तु निलंबन अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ कर्तव्य पर बितायी गई अवधि के रूप में मान्य होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 185 -- 50